प्रेस नोट दिनांक- 26.08.2025

थाना व जनपद चंदौली

➡️ **थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 डीसीएम ट्रक से नारियल के नीचे रखकर परिवहन कर रहे 149 किग्रा अवैध गांजा को बरामद कर, 03 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार**

➡️ **बरामद अवैध गांजे की अनुमानित कीमत करीब 29,80,000(उन्तीस लाख अस्सी हजार रुपए)**

चंदौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने जाने हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) व देवेन्द्र कुमार मौर्या, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थानाप्रभारी संजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.08.2025 को थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा जियो पेट्रोल पम्प कटसिला कटसिला के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक डीसीएम जिसका नंम्बर UP65QT1970 है जो सन्दहा वाराणसी की तरफ से आ रही है तथा बिहार जायेगा जिसमें गांजा होने की सम्भावना है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा मझवार स्टेशन के पास ट्रकों की चेकिंग की जा रही थी कि उक्त डीसीएम चालक द्वारा चेकिंग होता देख चेकिंग स्थान से कुछ दूर पहले ही डीसीएम रोक डीसीएम में सवार चालक समेत 03 तस्करों द्वारा भागने की कोशिश की गई लेकिन वहां मौजूद पुलिस टीम द्वारा घेरकर 03 तस्करों को पकड़ लिया गया। डीसीएम वाहन को चेक किया गया तो कुल 7 बोरी व भूरे कलर पालिथीन से बन्द पैकेटों में कुल 149 किग्रा अवैध गांजा नारियल पानी के नीचे दबी बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 238/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि गाडी में नारियल पानी है जिसके नीचे करीब डेढ कुन्तल गांजा छिपाकर रखा गया है, जिसको हम लोग बिहार ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम व पता-

1.राजीव विश्वकर्मा पुत्र रामजी विश्वकर्मा निवासी तिवारीपुर थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 44 वर्ष

2.आशीष कुमार मिश्रा पुत्र रामबली मिश्रा निवासी खोनपुर थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष

3.बसन्त विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा निवासी नवापुरा थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0स0-238/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना व जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण-

1.कुल 149 किग्रा अवैध गांजा

2.एक डीसीएम जिसका नंम्बर UP65QT1970

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम–

1.प्र0नि0 संजय कुमार सिह थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली

2.नि0 रामजीत यादव थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 रावेन्द्र सिह चौकी मण्डी थाना जिला चन्दौली

4.उ0नि0 विनोद कुमार सिह थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली

5.हे0कां0 धीरेन्द्र यादव थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली

6.का0 प्रियेश यादव थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली।